<u>तुरंत जारी किए जाने के लिए</u>

विश्व बैंक

समाचार रिलीज़ सं. 2005/511/एसएआर

संपर्क-सूत्र: *दिल्ली में:* सुदीप मजूमदार (91 11) 2461-7241
ई-मेल: smozumder@worldbank.org
वाशिंगटन में: बेंजामिन क्रो (202) 473-5105
ई-मेल: bcrow@worldbank.org

विश्व बैंक द्वारा भारत में जल क्षेत्र के प्रबंध में सहायता

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत

वाशिंगटन, 23 जून, 2005: आज यहां विश्व बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में **महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना *(एमडब्ल्यूएसआईपी)*** पर क्रियान्वयन में भारत सरकार की मदद करने के लिए 325 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को स्वीकृति प्रदान की। जल-संसाधनों के बहुक्षेत्रीय नियोजन, विकास तथा व्यावहारिक प्रबंध की राज्य की क्षमता को सुदृढ़ बनाना और सिंचाई सेवाओं की डिलीवरी तथा कृषि उत्पादकता में सुधार करना इस परियोजना का उद्देश्य है।

भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का दूसरा और जनसंख्या (97 मिलियन) की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की लगभग 58% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका 80% अपनी गुज़र-बसर के लिए खेती पर निर्भर करता है। राज्य में निर्धनता की दर लगभभग 32% है। राज्य में जल की उपलब्धता में काफी असमानता है, क्योंकि यहां वर्ष में 40 से लेकर 100 दिनों तक ही वर्षा होती है। महाराष्ट्र के जल क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियां इस प्रकार हैं: क्षेत्र में पहले से अधिक प्रतिस्पद्र्धा, तेज़ी से बढ़ते हुए शहरी केन्द्र और उद्योग, सिंचित कृषि का ख़राब कार्य-प्रदर्शन, सिंचाई सेवाओं की असंतोषजनक डिलीवरी, तथा जल-संसाधनों के बहुक्षेत्रीय तथा एकीकृत नियोजन की कमी। सिंचाई सेवाओं की डिलीवरी और जल की उत्पादकता में सुधार हो जाने से सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में लगभग 22% तथा पैदावार में 5-20% की वृद्धि होने की आशा है।

विश्व बैंक के कंट्री डाइरेक्टर माइकेल कार्टर ने कहा: *"इस परियोजना से जल-संसाधन प्रबंध तथा सिंचाई सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के जरिए व्यावहारिक आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ निर्धनता में कमी लाने का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अनुमान है कि इस परियोजना से खेती से होने वाली आय में लगभग 49% की वृद्धि होगी और परियोजना के पूरा होने तक पूरी तरह खेती पर निर्भर लगभग 33,610 किसान परिवारों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जा सकेगा।"*

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना में निम्नलिखित चार *कंपोनेंट* (घटक) शामिल हैं:-

- **जल क्षेत्र में संस्थागत पुनर्गठन और क्षमता का निर्माण:** इस *कंपोनेंट* में उन संस्थागत सुधारों पर ध्यान दिया गया है, जिनसे नदी-बेसिन के आधार पर बहुक्षेत्रीय नियोजन और विकास के साथ-साथ जल-संसाधनों का प्रबंध करने की राज्य की क्षमता का सुदृढ़ीकरण होगा।

- **सिंचाई सेवाओं की डिलीवरी और इनका प्रबंध:** इस *कंपोनेंट* के तहत सिंचाई व्यवस्था के कामकाज और किसानों को मुहैया कराई जाने वाली सिंचाई सेवाओं की क्वालिटी में सुधार होगा, सिंचाई योजनाओं के प्रबंध में जल-उपभोक्ता समितियों की कारगर भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, लागत-वसूली बढ़ेगी, जल की हक़दारी पर अमल किया जाएगा और खेती में मदद करने वाली सेवाओं की डिलीवरी का स्तर ऊंचा होगा। इस *कंपोनेंट* के तहत लगभग 6,70,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को कवर करने वाली 286 चुनी हुई सिंचाई योजनाओं का पुनर्गठन और आधुनिकीकरण किया जाएगा, 291 बांधों की सुरक्षा बढ़ेगी, जल-उपभोक्ता समितियों की क्षमता का गठन करने में मदद मिलेगी, जल-प्रबंध से जुड़े कार्यव्यवहार और *इंस्ट्रूमेंट्स* में सुधार होगा, खेती में मदद करने वाली सेवाओं का सुदृढ़ीकरण होगा तथा एक सामाजिक व पर्यावरण-प्रबंध योजना पर अमल किया जाएगा।

- **नई प्रायोगिक योजनाएं:** इस *कंपोनेंट* के अंतर्गत उपभोक्ताओं को लक्षित *एक्विफ़र* (जलभर) भौम जल प्रबंध तथा सिंचित कृषि के क्षेत्र में चार-चार नई प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाएगी।

- **परियोजना प्रबंध:** इस *कंपोनेंट* के तहत जिन चीज़ों को सहायता दी जाएगी, वे इस प्रकार हैं: (1) राज्य-स्तरीय परियोजना तैयारी और प्रबंध इकाई, (2) महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र बाहरी एजेंसी के माध्यम से परियोजना की मॉनिटरिंग और इसका मूल्यांकन, और (3) परियोजना-संबंधी प्रयासों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संपर्क-अभियान तथा महाराष्ट्र राज्य जल नीति और सुधार कार्यक्रम के बारे में आम सहमति का गठन तथा इसके लिए समर्थन जुटाना।

विश्व बैंक के **एक वरिष्ठ सिंचाई इंजीनियर आर.एस. पाठक** ने कहा, ***"महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना (एमडब्ल्यूएसआईपी)*** *से कुछ मार्गप्रशस्तकारी प्रयासों को बल मिलेगा, जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर जल-प्रबंध के क्षेत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ेगा। इन प्रयासों में राज्य में जल-उपभोक्ता उप-क्षेत्रों के बीच जल की हक़दारी का निर्धारण और इसका प्रबंध, अधिक मात्रा में जल की आपूर्ति तथा इसके लिए मात्रा के आधार पर मूल्य-निर्धारण तथा महाराष्ट्र जल-संसाधन नियामक प्राधिकरण की स्थापना शामिल हैं। विश्व बैंक ने पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है और यह परियोजना आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल रही परियोजनाओं के अनुभवों तथा बहु-राज्य राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के आधार पर तैयार की गई है।"*

विश्व बैंक की ऋण मुहैया कराने वाली संस्था *इंटरनेशनल बैंक फ़ॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी)* से मिलने वाला यह ऋण एक *वैरिएबल स्प्रेड लोन* है और 20 वर्ष में देय है। इसका भुगतान पांच वर्ष बाद शुरू होगा।

#####

भारत में विश्व बैंक की गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए
कृपया वेबसाइट www.worldbank.org/in देखें।